राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail%nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक– 328/241/NULM/तीन/2001 (Vol-II) दिनांक– 28-4-16

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
   जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
2. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक,
   जिला नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0।

**विषय : दीनदयाल अन्त्योदय योजना DAY–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

दीनदयाल अन्त्योदय योजना DAY–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रगति समीक्षा हेतु उ0प्र0 के कतिपय शहरों सहित अन्य राज्यों में नेशनल मिशन मैनेजर्स के द्वारा किये गये भ्रमण के सम्बन्ध में निदेशक यू0पी0ए0 आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के पत्र सं0–के0–14014/1/2016–यू0पी0ए0/एफ0टी0एस0–14908 दिनांक 15.03.2016 के माध्यम से कतिपय बिन्दुओं पर समीक्षा कर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की गई है जो निम्नवत है :–

## I. SM&ID :-

1. सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत संदर्भ संस्थाओं द्वारा गठित किये जा रहे स्वयं सहायता समूहों को केवल एक रजिस्टर उपलब्ध कराया जा रहा है तथा उक्त रजिस्टर में भी सन्दर्भ संस्थाओं द्वारा अपनी संस्थाओं के नामों का प्रचार किया जा रहा है जबकि सूडा के पत्रांक सं0–705/241/एनयूएलएम/तीन/2001(SM&ID) दिनांक 25.05.2015 के द्वारा स्पष्ट रूप से निम्नांकित रजिस्टर का माडल प्रारूप प्रेषित कर गठित स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे :–

   1. स्वयं सहायता समूह सदस्यता एवं कार्यवाही रजिस्टर।
   2. स्वयं सहायता समूहों का ऋण खाता रजिस्टर।
   3. स्वयं सहायता समूहों का बचत खाता रजिस्टर।
   4. पास बुक।

   उल्लिखित रजिस्टर्स के कवर पेज पर सबसे ऊपर मोटे एवं स्पष्ट शब्दों में दो लोगों के साथ राज्य शहरी आजीविका मिशन–सूडा उ0प्र0 उसके बाद में मिशन के घटक का नाम, अभिलेख का नाम, समूह का विवरण एवं मध्य में सी0एम0एम0यू0 का नाम एवं लोगो तथा अन्त में सन्दर्भ संस्था का नाम छोटे अक्षरों में लिखा जाना था जबकि क्षेत्र भ्रमण में यह देखा गया कि स्वयं सहायता समूहों को केवल एक रजिस्टर ही दिये गये हैं, जिसमें योजना, एस0एम0एम0यू0 तथा सी0एम0एम0यू0 शहर व स्वयं सहायता समूह विवरण को मुख्य रूप से प्रमोट न करके संदर्भ संस्थाओं द्वारा स्वयं को प्रमोट करने का प्रयास किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि सी0एम0एम0यू द्वारा प्रकरण की महत्वता पर ध्यान नहीं दिया गया है जो कि अत्यन्त खेद का विषय है।

   उक्त प्रचलन के दृष्टिगत ही बैंकों में समूहों के खाता खोलने आदि में भी सम्भवतः संस्थाओं द्वारा मिशन के स्थान पर अपनी संस्था को वरीयता दी गयी होगी, जिससे बैंको को भी यह समझने में दिक्कत हुई होगी कि ये समूह DAY–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित किये गये है अथवा नहीं जिसके फलस्वरूप ही बैंको से समस्याएं परिलक्षित हुई होंगी।

2. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मिशन प्रबन्धकों के क्षेत्र भ्रमण में यह भी देखा गया है कि स्वयं सहायता समूह आन्तरिक लेन–देन (इन्टर्नल लोनिंग) के महत्व से अनभिज्ञ हैं तथा कतिपय स्थानों पर इन्टर्नल लोनिंग नहीं हो रही है तथा एस0एच0जी0 सदस्यों द्वारा महाजन से ऋण लिया जा रहा है। **उल्लेखनीय है कि एस0एच0जी0 की अवधारणा में आन्तरिक लेन–देन (इन्टर्नल लोनिंग) एक अहम एवं मुख्य गतिविधि है जो कि एस0एच0जी0 गठन के तुरन्त बाद समूह को आन्तरिक लेन–देन हेतु प्रोत्साहित करते हुए प्रारम्भ करना है, जिस पर तत्काल त्वरित गति से कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।**

3. एरिया लेविल फेडरेशन (ए0एल0एफ0) के गठन की अवधारण क्षेत्र विशेष में गठित सभी एस0एच0जी0 के दो–दो सदस्यों को नामित कर एरिया लेविल फेडरेशन (ए0एल0एफ0) का गठन किया जाना है जिसमें यदि क्षेत्र विशेष में पूर्व में संचालित एस0जे0एस0आर0वाई0 के अन्तर्गत गठित एस0एच0जी0 क्रियाशील है तो उन एस0एच0जी0 के सदस्य भी एरिया लेविल फेडरेशन (ए0एल0एफ0) में जायेंगे तथा एरिया लेविल फेडरेशन (ए0एल0एफ0) से सिटी लेविल फेडरेशन (सी0एल0एफ0) में प्रतिनिधित्व होगा। **उक्त के साथ ही बार–बार निर्देशित किया जा रहा है कि पुराने एस0जे0एस0आर0वाई0 के अन्तर्गत गठित एस0एच0जी0 को भी रिवाल्विंग फण्ड (आर0एफ0) दिया जायेगा। इस निर्देश का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाए।**

4. DAY–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत एस0एच0जी0 का गठन गुणवत्ता आधारित किया जाना है जिसमें गाइडलाइन के परिपेक्ष्य में संदर्भ संस्थाओं द्वारा कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (सी0आर0पी0) के माध्यम से कराया जाना है। **संदर्भ संस्था के कार्यकर्ता तथा कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन की शहर स्तर पर लीड बैक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एस0आर0एल0एम0) एवं अन्य विभागों के पास उपलब्ध विशेषज्ञों के साथ नियमित क्षमता वृद्धि हेतु बैठकें आयोजित की जाएं ताकि आपसी सीख के आधार पर गुणवत्ता स्थापित हो सके।**

5. भ्रमण में यह भी देखा गया कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को घटकों की जानकारी नहीं है। जिससे प्रतीत होता है कि सी0एम0एम0यू0/संदर्भ संस्थाओं द्वारा सुचारू रूप से मिशन के समस्त घटकों की जानकारी नहीं दी जा रही है। **सी0एम0एम0यू0/संदर्भ संस्थाओं द्वारा सघनरूप से नियमित सभी समूहों को सम्पूर्ण जानकारी दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।**

## II. EST&P :-

भ्रमण में इस घटक के अन्तर्गत भी कतिपय बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता व्यक्त की गई है जिसके अनुसार इस घटक में कौशल प्रशिक्षण हेतु छात्रों को पंजीकृत कर प्रशिक्षण देने के तथ्य संज्ञान में लाये गये हैं जो उचित नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रशिक्षित किये जाने वाले छात्र प्रशिक्षण के तत्काल समाप्ति पर सेवायोजन के इच्छुक नहीं होंगे क्योंकि छात्र अपने अध्ययनरत कोर्सो को प्रथमिकता के आधार पर पूर्ण करना चाहेंगे। **जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कौशल प्रशिक्षण हेतु लाभार्थियों का चयन अत्यन्त सावधानी पूर्वक घटक एवं मिशन के उद्देश्यों एवं रणनीति को ध्यान में रखकर किया जाये, जिससे प्रशिक्षण के तुरन्त बाद लाभार्थियों को सीधे स्थाई रोजगार से जोड़ा जा सके तथा गाइडलाइन के अनुक्रम में अनुश्रवण भी किया जा सके। इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देते हुए गुणवत्ता आधारित कौशल प्रशिक्षण प्लेसमेन्ट को ध्यान में रखते हुए ही कराया जाये क्योंकि मिशन का मुख्य फोकस इसी घटक पर है।**

III. SEP :-

1. राष्ट्रीय मिशन प्रबन्धकों द्वारा शहरों में भ्रमण के दौरान बैंक के अधिकारियों से भी कतिपय शहरों में चर्चा की गई है तथा अवगत कराया गया है कि बैंक के अधिकारियों को DAY–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की न तो सही तरीके से जानकारी है न ही उन्हें सुचारू रूप से संवेदित किये जाने की कोई रणनीति बनाई गयी है। DAY–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफलता पूर्वक संचालन हेतु आवश्यक है कि **बैंक के अधिकारियों को मिशन के बारे में पूरी तरह से जानकारी देते हुए संवेदित किया जाये, जिसके लिए आवश्यक है कि शहर स्तर पर मासिक आधार पर बैंकों की सुविधानुसार समन्वयन कर बैठक एवं ओरियन्टेशन सत्रों का आयोजन किया जाये।**
2. सी0एम0एम0यू0 द्वारा ऋण प्रस्तावों का सही तरीके से बैंकर्स के साथ टास्कफोर्स की बैठक में परीक्षण करने के उपरान्त ही बैंकेवल प्रस्ताव ही अग्रसारित किये जायें। प्रत्येक माह टास्क फोर्स की बैठक आयोजित कर एक बैठक में उतने ही प्रस्ताव सम्मिलित किये जायें जितने प्रस्तावों पर परीक्षण सम्भव हो। बैंको को प्रस्तावों के अग्रसारित करने के उपरान्त सी0एम0एम0यू0 के मिशन प्रबन्धकों तथा परियोजना अधिकारी के द्वारा निरन्तर फालोअप किया जाये तथा ऋण वितरण उपरान्त लाभार्थियों को ऋणु वापसी हेतु नियमित एवं निरन्तर सवेदित करते हुए ससमय ऋण वापसी के महत्वता एवं लाभ के बारे मे भी लाभार्थियों को जागरूक किया जाये।

इस प्रकार उल्लिखित घटकों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मिशन प्रबन्धकों द्वारा इंगित किये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में आपको इस आश्य से अवगत कराया जा रहा है कि DAY–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सभी घटकों की समय–समय पर समीक्षा करते समय इंगित बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुए समीक्षा किया जाय तथा इंगित बिन्दुओं पर तत्काल तेजी से कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाये, ताकि भविष्य में भारत सरकार एवं राज्य स्तर से किये जाने वाले भ्रमण में DAY–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का गुणवत्ता आधारित क्रियान्वयन परिलक्षित हो सके।

अतः उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें।

भवदीय

संलग्नक–यथोपरि

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि–

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, (यू0पी0ए0 प्रकोष्ठ) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार।
3. सिटी मिशन मैनेजर/परियोजना अधिकारी, डूडा को अनुपालनार्थ।
4. सभी संदर्भ संस्था तथा EST&P को अनुपालनार्थ।
5. सहायक वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेश

1608

**F. No. K-14014/1/2016-UPA/ FTS-14908**
Government of India
Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation
(UPA Division)

Nirman Bhawan, New Delhi

Dated: 15th March, 2016

To

**Shri Shailender Kumar Singh**
Director
State Urban Development Agency
Nav Chetna Kendra, 10, Ashoka Marg,
Lucknow-226001
Uttar Pradesh

**Subject: Issues regarding implementation of Deendayal Antyodaya Yojana- National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) -reg.**

During the visits of National Mission Managers to various States, issues have emerged in implementation of the Mission at field level which needs to be reviewed and followed up by the respective States/UTs.

2. In some States college going students have been enrolled under EST&P. These students may not be interested in taking employment immediately after training within next three months. This aspect may be kept in view while enrolling the candidates.

3. The awareness about NULM is lacking among branch managers of Banks. SULMs may organize regular (quarterly or half yearly) awareness and orientation workshops with banks at the field level in coordination with SLBC, RBI and NABARD. Awareness in beneficiaries regarding loan repayment may be created by regular visits and sensitization by the State/ ULB officials like Project Officers, COs etc.

4. Applicants for SEP loans may be thoroughly screened by ULB officials along with Bank Officers (who are members of Task Force) before these are sent to Banks. Besides, once these applications are sent to Bank, their status may be perused on a regular basis in DLBC and SLBC meetings.

5. In some cases, ROs are promoting their own name in the SHG's books of accounts. Most of the ROs have introduced only one book to record minutes of meeting of SHGs. The State may maintain uniformity in books of accounts of SHGs and mention the name of

program (DAY-NULM) and implementation agency (State Urban Livelihoods Mission) on cover page of all the records of SHGs. same practice may be followed during the communication with Banks.

6. It has also come to notice that the SHG members are not aware of the importance of internal lending for fulfilling their day to day financial needs. In spite of having significant savings in their bank accounts, the members are taking loans from moneylenders at higher rates of interest.

7. Regarding old functional SHGs of other programs (including SJSRY), the States/UTs may create an understanding that such SHGs may be given representation in ALFs and CLFs and can also avail revolving funds and other benefits under DAY- NULM.

8. To ensure the quality in SHG formation, training of members and bank linkage, the ROs need to be monitored closely by regular field visits and review meetings, workshops etc. States may take the support of NRLM counterparts and NABARD for the capacity building of ROs. Besides, the CRP strategy as envisaged in Operational Guidelines of Social Mobilization & Institution Development component may be used for formation and handholding of SHGs, wherever possible.

9. The States/UTs may take appropriate action on the above issues and inform the Status to this Ministry.

Yours faithfully,

(Avanish Kr. Mishra)
Director (UPA-II)
Tel No.: 011-23062923